रजिस्टर्ड/सीव्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-437/2026/1804/22-2-2024-17(696)/2025

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी खुबचन्द्र (बन्दी सं0-268/2019) पुत्र श्री पन्ना लाल खंगार, निवासी ग्राम-टोला खंगारन, थाना-चिकासी, जनपद-हमीरपुर का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-191/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-प्रथम, हमीरपुर के दण्डादेश दिनांक 13.10.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए दण्डादेश दिनांक 27.11.2018 के द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 16.07.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष 07 माह 12 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-437/2026/1804(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
3- पुलिस अधीक्षक हमीरपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।